न होने तक परामर्श हेतु अनुरोध किये जाने की तारीख से तीन महीनों की अन्तिम अवधि के लिये एकपक्षीय सीमा लागू करने के लिये आयोग के लिये एक समर्थकारी उपबन्ध है।

यूरोपीय आयोग की ओर से एक अनुरोध दिनांक 12 सितम्बर, 1983 प्राप्त हुआ था जिसमें यूनाइटेड किंगडम को श्रेणी 5 के उत्पादों (जर्सी, पुलोवर, ट्विनसैट्स आदि) के निर्यात के सम्बन्ध में परामर्श के लिये अनुरोध किया गया था। जब तक परस्पर सन्तोषजनक समाधान नहीं हो जाता तब तक के लिये आयोग ने 11 दिसम्बर, 1983 तक यू० के० को निर्यात के लिए 110,000 अदद की एक अन्तिम मात्रा सम्बन्धी सीमा लागू की।

करार के उपबन्धों के अनुसार 14 नवम्बर, 1983 को भारत और आयोग के बीच परामर्श किये गये। जब कि आयोग ने यू० के० बाजार में श्रेणी 5 की मदों के निर्यात के लिए एक विशिष्ट प्रतिबन्ध स्तर की स्वीकृति पर जोर दिया, भारतीय पक्ष का विचार था कि उपलब्ध जानकारी तथा आँकड़ों से इस बात का संकेत नहीं मिलता कि उपरोक्त उत्पाद के भारतीय निर्यातों से यू० के० में बाजार विघटन के किसी वास्तविक जोखिम की स्थिति बन रही है और तदनुसार विशिष्ट प्रतिबन्ध स्तर के लिये मामला नहीं बनता।

भावी कार्यवाही की दिशा इस मामले में आगे होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करेगी।

फिल्म कलाकारों/महिला कलाकारों पर आयकर की बकाया राशि

***245. श्री बिरदाराम फुलवारिया :** क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्म कलाकारों / महिला कलाकारों का ब्यौरा क्या है जिन पर आयकर की एक लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया है; और

(ख) उनसे बकाया आयकर राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जिन फिल्म अभिनेताओं / अभिनेत्रियों की तरफ 30-6-1983 की स्थिति के अनुसार आयकर की दस लाख रुपये तथा एक लाख रुपये से अधिक की रकम बकाया है, उनके ब्यौरे क्रमशः अनुबंद्ध I तथा II में दिये गए हैं।

(ख) पर्याप्त मांगें, अपीलों के विचाराधीन होने की अवधि में मंजूर किए गए स्थगन आदेशों के कारण अप्राप्य रह जाती हैं। ऐसी अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए गहन उपाय किये गये हैं। प्रत्येक मामले की वस्तु स्थिति को देखते हुए, बकाया मांगों की वसूली / घटौती के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर अन्य उपाय किये जाते हैं। इन अन्य उपायों में, अन्य उपायों के साथ-साथ, निर्धारिती की देय रकमों पर आयकर अधिनियम की धारा 226 (3) के अन्तर्गत रोक लगाने की कार्यवाही करना, आयकर अधिनियम की धारा 222 के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी को वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा बिक्री

करना एवं चल और अचल संपत्तियों की कुर्की करना शामिल है।

अनुबंध I

क्र०सं० नाम

1. श्री वी० सी० गणेशन
2. श्रीमती हेमा मालिनी
3. श्री जितेन्द्र कपूर
4. के० कल्पना
5. श्री किशोर कुमार गांगुली
6. (कु०) मल्लिका वी साराभाई
7. श्री नसीरखाँ सरवरखां (मृत) कानूनी वारिस श्रीमती बेगमपारा
8. श्री रणधीर राजकपूर
9. (कुमारी) रेखा गणेशन्
10. श्री शशि राज कपूर

अनुबंध II

क्र०सं० नाम

1. श्री एन० टी० रामा राव
2. श्री अजय उर्फ परीक्षित साहनी
3. श्री कमालुद्दीन काजी उर्फ टोनीवाकर
4. (श्रीमती) मीनाकुमारी (मृत)
5. नीतू सिंह
6. कु० शबाना आजमी
7. (श्रीमती) सविता बहल
8. (कुमारी) सुलक्षणा पण्डित
9. (डा०) श्रीराम लागू
10. (कु०) स्नेहलता गडकर
11. श्री विजय आनन्द
12. श्री रणधीर राज कपूर
13. एम० आर० राधा
14. श्री पी० राज बाबू
15. श्री एस० एस० राजेन्द्रन
16. (श्रीमती) जी० सावित्री
17. श्री एम०आर०आर० वासू
18. (श्रीमती) जी० विजय निर्मला
19. श्री प्रेम नजीर
20. (श्रीमती) जे० जमुना
21. जय प्रदा
22. (श्रीमती) सुचित्रा सेन

Deteriorating Industrial Peace In ITDC Hotals/Units

*249 SHRI C.T. DHANDAPANI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the reasons for steadily deteriorating industrial peace in ITDC hotels/units; and

(b) the steps being taken to improve industrial relations in ITDC in order to improve its image in India abroad ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN) : (a) On the whole the industrial relations in ITDC have remained peace ful and are cordial.

(b) All problems of industtial relations are resolved by ITDC through negotiations with the Unions.

Second Base for Repair/Overhauling of Airbus and Boeing

*252 SHRI NIREN GHOSH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL